निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

करण संख्या 151 / 2024
दायरा दिनांकः–29.10.2024
निर्णय दिनांकः– 25.2.25

उनवान

1. कंचनबाई आयु 62 वर्ष पुत्र जगन्नाथ
2. कोशल्याबाई आयु 57 वर्ष पुत्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी ग्राम भूलोन चीलपुरा उर्फ युसुफपुरा (मृतक लाऔलाद फौत)
3. गुलाबचन्द आयु 63 वर्ष पुत्र जगन्नाथ
4. चम्पाबाई आयु 60 वर्ष पत्नि बाबूलाल
5. फुंदीबाई आयु 80 वर्ष पत्नि जगन्नाथ
6. रामचरण आयु 64 वर्ष पुत्र जगन्नाथ
7. शीला आयु 40 वर्ष पुत्री बाबूलाल जातियान मीणा निवासीगण ग्राम भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. सचिव ग्राम पंचायत भूलोन
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, छबड़ा जिला बांरा राज०

वाद पत्र अन्तर्गत धारा, 53,183,188,आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 25.2.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री नारायणलाल चौरसिया – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,53,183,188 एल0आर0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वादीगण के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 255 / 57 खसरा नम्बर 487 की रकबा 0.1265 है0 खसरा नम्बर 498 की रकबा 0.1138 हैक्टयर, खसरा नम्बर 500 की रकबा 0.3920 हैक्टयर, खसरा नम्बर 501 की रकबा 0.3162 हैक्टयर कुल किता 04 तादादी रकबा 0.9485 हैक्टयर भूमि ग्राम भूलोन तहसील छबडा में स्थित है जिसमे वादी कम 1 का 1 / 8 हिस्सा वादी कम

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

2 का 1/6 हिस्सा, वादी कम 3 का 1/8 हिस्सा, वादी कम 4 का 1/6 हिस्सा, वादी कम 5 का 1/8 हिस्सा, तथा वादी कम 6 का 1/8 हिस्सा वादी कम 7 का 1/6 हिस्सा नकल जमाबन्दी मे दर्ज चला आ रहा है। जिसमे वादी कम 2 कौशल्याबाई लाऔलाद फोत होई है उसके कोई वारिस नहीं है। वादी की भूमि खाता संख्या 255/57 की रकबा 0.9485 हैक्टयर के लगवा छात्रावास बना हुआ है छात्रावास की बाउण्ड्रीवाल हो रही है पी. डबल्यू.डी. जब छात्रावास का निर्माण किया तब प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा भूमि की पैमाईश करके बाउण्ड्रीवाल छात्रावास के लिए किया गया था तथा बाकी भूमि वादीगण की खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा संम्भलाया गया था। वादीगण आज भी खातेदारी की भूमि पर कब्जा काश्त है। ग्राम पंचायत सरपंच सचिव द्वारा राजनैतिक दबाव के चलते वादीगण को वादी की खातेदारी की भूमि मे मेला ग्राउण्ड व छात्रावास की भूमि बताकर वादीगण बेदखल करना चाहते है जिसका किसी को कोई अधिकार नहीं है। वादीगण उक्त भूमि का अच्छी में से अच्छी एंव बुरी मे का हिस्सा एंव कब्जे काश्त के अनुसार बंटवारा करवाने के अधिकारी है। एंव प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। वाद कारण अन्तिम बार दिनांक 12/09/2024 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को भूमि खसरा नम्बर 500 की मेला ग्राउण्ड की भूमि बताकर वादीगण को बेदखल करने पर आमादा होने पर धमकी देने पर वाद कारण अन्तिम बार 15/10/2024 को उत्पन्न हुआ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन वाद तामील प्राप्त बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थि नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् सम्वत् 2074—77 खाता संख्या 255 पेश की गई। साक्ष्य वादी में रामचरण, जगदीश के बयान करायें गये।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके भूलोन छबडा में स्थित है। जो वादीगण के शामलाती खातेदारी में चली आ रही है वादी क्रम 2 कोशल्या बाई लाऔलाद फोत हो गई है उसके कोई वारिस नही है वादी की भूमि के लगवा छात्रावास बना हुआ छात्रावास की की भूमि की पैमाईश कर बाउन्ड्रीवाल करवाया गया था। वादीगण अपनी भूमि पर काबिज काश्त है प्रतिवादी क्रम 1 वादीगण के खातेदारी की भूमि पर कब्जा करना चाहतें है तथा वादी को भूमि से बेदखल करने पर आमादा है वादीगण उक्त भूमि का अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का हिस्से एवं कब्जे अनुसार बटवारा कराना चाहतें है प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हे वादीगण का वाद स्वीकार किया जावें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत्

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

2074–77 खाता संख्या 255 अनुसार वादीगण के शामलाती खातेदारी में है वाद पत्र के अनुतोष (अ) में वादी द्वारा विवादित अराजी का विभाजन चाहा गया है। सभी सहखातेदार वादी के रूप में तथा प्रतिवादी सचिव ग्राम पंचायत भूलोन एवं तहसीलदार छबडा को बनाया गया है। जब सभी सहखातेदार वादी के रूप में दावा पेश कर रहे है तो तहसीलदार के समक्ष सहमति से विभाजन करवा सकतें है। अर्थात् वाद पत्र के अनुसार विभाजन का दावा स्वीकार किये जाने योग्य नही है वाद पत्र के अनुतोष (ब) में वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना चाहतें है, इसका मुख्य आधार सीमा विवाद को लेकर है परन्तु वादी द्वारा सीमाज्ञान सम्बन्धी साक्ष्य पेश नही किये गये अर्थात् जब तक यह साबित न हो जाए की विवादित खसरे की सीमा में छात्रावास का निर्माण किया गया है, प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उपरोक्त के क्रम में वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

संख्या 151/2024	धारा 53,183,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः— 25-2-25

समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**

उपस्थिति :अभिभाषकवादीः—श्री नारायणलाल चौरसिया—वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः—

वाद शीर्षक

उनवान

1. कंचनबाई आयु 62 वर्ष पुत्र जगन्नाथ
2. कोशल्याबाई आयु 57 वर्ष पुत्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी ग्राम भूलोन चीलपुरा उर्फ युसुफपुरा (मृतक लाऔलाद फौत)
3. गुलाबचन्द आयु 63 वर्ष पुत्र जगन्नाथ
4. चम्पाबाई आयु 60 वर्ष पत्नि बाबूलाल
5. फुंदीबाई आयु 80 वर्ष पत्नि जगन्नाथ
6. रामचरण आयु 64 वर्ष पुत्र जगन्नाथ
7. शीला आयु 40 वर्ष पुत्री बाबूलाल जातियान मीणा निवासीगण ग्राम भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. सचिव ग्राम पंचायत भूलोन
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, छबड़ा जिला बांरा राज०

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 25-2-25 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

	व्ययानुतोष		
क्र.सं.	व्यय भेद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		